भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1700
10 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में मत्स्यपालन और जलीय कृषि

1700. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में, विशेषकर सोलापुर और आसपास के जिलों में, संवहनीय मत्स्यपालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जिनमें सरकार द्वारा अंतर्देशीय मत्स्यपालन को दिया गया समर्थन भी शामिल है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य में मत्स्यपालकों और मछुआरों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, राजसहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्देशीय और जलाशय-आधारित मत्स्यपालन में आने वाली चुनौतियों, जैसे कम उत्पादकता,अपर्याप्त अवसंरचना और बाजार तक पहुंच के अभाव का आकलन किया है, और

(घ) सरकार द्वारा अंतर्देशीय मत्स्यपालन क्षेत्र से मछली उत्पादन बढ़ाने, मूल्य श्रृंखलाओं में सुधार करने, मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम प्रस्तावित है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार अपनी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी के सर्वांगीण विकास के लिए कई पहल कर रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभाग ने महाराष्ट्र सरकार की 981.72 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। स्वीकृत गतिविधियों में फिश ब्रूड बैंकों की स्थापना, गुणवत्ता सीड के लिए मत्स्य/झींगा हैचरी, जलाशयों में केज, रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS), बायोफ्लोक यूनिट्स, डीप सी फिशिंग वेसेल्स, निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसेल्स का उन्नयन, इंटीग्रेटेड मॉडर्न फिश लैंडिंग सेंटर, अत्याधुनिक होल सेल फिश मार्केट, आइस प्लांट / कोल्ड स्टोरेज, फिश ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं आदि जैसी प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा, ओर्नामेंटल फिश रियरिंग यूनिट्स, समुद्री शैवाल कृषि, रिक्रीएशनल फिशरी, फिश कियोस्क, वैकल्पिक आजीविका के लिए फिश वैल्यू एडेड उद्यम, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि के दौरान आजीविका सहायता और संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए तट के किनारे आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।

PMMSY के अंतर्गत, लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि मात्स्यिकी और जलकृषि को PMMSY और राज्य स्तरीय जिला योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्य गतिविधियों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, मछुआरों को आजीविका सहायता, फिश फिंगरलिंग का भण्डारण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि PMMSY के अंतर्गत सोलापुर, पुणे, सतारा, सांगली, धाराशिव और अहिल्यानगर जिलों में 207.72 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 1,138 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, जिला योजनाओं के अंतर्गत, सोलापुर और आसपास के जिलों में 8,139 लाभार्थियों को 8.99 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। अल्पकालिक ऋण की जरूरत को पूरा करने के लिए सोलापुर और आसपास के जिलों में 575 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के माध्यम से आवश्यकता आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान करता है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे विभिन्न मात्स्यिकी से संबंधित कौशल में 1,367 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

(ग) और (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार अंतर्देशीय और जलाशय मत्स्यपालन सहित मत्स्यपालन में जमीनी स्तर की चुनौतियों का समाधान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम करता है। PMMSY के तहत, जलाशय मत्स्य पालन विकास की दिशा में रैंचिंग, जलाशयों में फिंगरलिंग की स्टॉकिंग, जलाशयों का एकीकृत विकास जैसे हस्तक्षेप किए जाते हैं। इसके अलावा, गुणवत्ता वाले बीज के लिए हैचरी की स्थापना, फीड मिल, मत्स्य बाजार की स्थापना, फिश कियोस्क, फिश वेंडिंग सेंटर, परिवहन सुविधाओं, प्रजातियों के विविधीकरण को बढ़ावा, भूमि और जल के उत्पादक उपयोग, प्रौद्योगिकी आधारित कल्चर प्रथाओं के उपयोग जैसे अंतर्देशीय मात्स्यिकी को सुदृढ़ करने के आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप किए जाते हैं, जिससे उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि होती है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है और मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी होती है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि इष्टतम मत्स्य भण्डारण और अंतर्देशीय जल के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, ICAR संस्थान प्रजातियों के विविधीकरण, मत्स्य स्वास्थ्य प्रबंधन, आनुवांशिक सुधार (जेनेटिक इंप्रूवमेंट), जिम्मेदार मत्स्यन प्रथाओं, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर अनुसंधान के माध्यम से इन प्रयासों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, साथ ही आजीविका को सुदृढ़ करने और अंतर्देशीय मात्स्यिकी को मारकेट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आउटरीच और विस्तार कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

*****